अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा

RMA No- 06/ 2002

9/12/2022

अपीलकर्त्ता- सीता राम सिंह

बनाम

उत्तरवादी- झारखंड सरकार एवं अन्य

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वन अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपीलवाद विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील नं0-01/2002-03 सीता सिंह बनाम् मोसोमात मोती त्रगै0 से संबंधित मामला में दिनांक-21.07.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा यह वाद श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया जिसे अंगीकृत करते हुए दिनांक-11.10.2012 को हस्तांतरण के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

उभय पक्ष के बहस को सुना गया, अभिलेखबद्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता उन्ही बातो को दोहराया है जो निम्न न्यायालय मे कहा गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने दावे के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य/ सबुत पेश नही किया जिससे यह प्रमणित हो कि विद्वान भूमि सुधार उप सताहर्त्ता, गोड्डा द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। वही विपक्षी की ओर से उनके अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहरण के दौरान जमीन का स्वामित्व के संदर्भ अंचल के राजस्व कर्मी/पदाधिकारी के द्वारा सम्पूर्ण जाँच के पश्चात् ही वैध उत्तराधिकारी के पक्ष में जमीन का मुआवजा राशि भुगतान करने अनुशंसा किया जाता है। तत्पश्चात् जाँचोपरांत उत्तरवादी को उक्त भुमि के एवज़ में मुआवजा राशि भी प्राप्त हुआ। उत्तरवादी के पक्ष में किया गया नामांतरण आदेश पारित होने के 42 वर्षो के बाद सिर्फ परेशान करने की नियत से आवेदक निम्न न्यायालय में अपीलवाद दायर करते है। नामांतरण के पश्चात् उत्तरवादी उक्त भूमि का नियमित लगान रसीद भी प्राप्त कर रहे। हाल सर्वे में उत्तरवादीगण का नाम से खाता सुधार हुआ है। अतः निम्न न्यायालय में पारित आदेश युक्ति संगत है अतः वर्त्तमान अपील स्वीकारर्य योग्य नही है इसे खारिज करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्ताओं का बहस को सुना तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेज का अवलोकन एवं बहस सुनने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय का मुटेशन अपील नं0- 01/2002-03 (सीता राम सिंह बनाम् मोसोमात

मोती वगै0) में दिनांक-21.07.2012 को पारित आदेश न्यायसंगत है इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता महसुस नही होता है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय का मुटेशन अपील नं0- 01/2002-03 (सीता राम सिंह बनाम् मोसोमात मोती वगै0) में दिनांक-21.07.2012 को पारित आदेश बरकरार रखते हुए वर्त्तमान अपीलवाद खारिज किया जाता है असंतुष्ट पक्षकार सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.05.20 15:18:39 +05:30
Location: 192.168.1.9